

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शंभु शरण,
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा मे,

महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना ।

द्वारा- आंतरिक वित्तीय सलाहकार ।

पटना, दिनांक-१०/०८/२०२६

विषय:- वित्तीय वर्ष २०२६-२७ में स्वास्थ्य विभाग के अधीन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राज्य के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यरत आशा कार्यकर्ताओं एवं फ़ैसिलिटेटरों को पारितोषिक के रूप में प्रतिमाह रू० ३०००/- के भुगतान हेतु बजटीय उपबंध के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी राशि से रू० २,००,००,००,०००/- (रुपये दो अरब) मात्र के व्यय की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक स्वास्थ्य विभाग के अधीन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यरत आशा कार्यकर्ता एवं आशा फ़ैसिलिटेटर को विभागीय संकल्प संख्या-७८९(१२) दिनांक-०९०८२०१९ के माध्यम से उल्लेखित शर्तों के साथ १००० रू० प्रतिमाह पारितोषिक निर्धारित की गई थी। वर्तमान में विभागीय संकल्प संख्या-१९७(७) दिनांक-०६०८२०२५ के माध्यम से शेष यथावत शर्तों के साथ रुपये १०००/- (एक हजार रू०) मात्र प्रति माह में रुपये २०००/- की अतिरिक्त वृद्धि कर कुल रुपये ३०००/- (तीन हजार) मात्र प्रतिमाह पारितोषिक निर्धारित की गई है। पुनः विभागीय संकल्प संख्या-३४०(७) दिनांक-०४.१०.२०२५ के द्वारा दिनांक-०१०७२०२५ की तिथि से प्रभावी का संशोधित संकल्प भी निर्गत किया गया है। यद्यपि वर्तमान वित्तीय वर्ष में अब तक स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक-१८७(७ए) दिनांक-०८.०६.२०२६ के माध्यम से ९,९०,००,०००/- (रुपये नौ करोड़ नब्बे लाख) मात्र राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को संविदा सेवाये मद में उपलब्ध करायी जा चुकी है।

२- वर्तमान में राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना के कार्यालय पत्रांक-८४२ दिनांक-१५.०५.२०२६ के द्वारा वित्तीय वर्ष २०२६-२७ में पारितोषिक राशि के भुगतान हेतु राशि रू० ४,०५,७४,१६,०००/- (चार अरब पाँच करोड़ चौहत्तर लाख सोलह हजार) मात्र की मांग की गई है।

३- राज्य स्वास्थ्य समिति के उक्त मांग के समीक्षोपरांत वित्तीय वर्ष २०२६-२७ अंतर्गत वर्तमान में राज्य के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यरत आशा कार्यकर्ताओं एवं फ़ैसिलिटेटरों को पारितोषिक के रूप में प्रतिमाह रू० ३०००/- के भुगतान के निमित्त रू० २,००,००,००,०००/- (रुपये दो अरब) मात्र की संविदा सेवाये मद में व्यय की स्वीकृति दी जाती है।

४- राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-२५६१ वि०(२), दिनांक-१७.०४.९८, ८५४३ वि०(२), दिनांक-२७.११.२००७, संकल्प संख्या-५४५(१२), दिनांक-११.०६.२०१९, विभागीय संकल्प संख्या-१९७(७) दिनांक-०६.०८.२०२५ तथा अद्यतन परिपत्रों के आलोक में की जायेगी।

५- इस पर होने वाले व्यय का वहन माग सं०-२० के अन्तर्गत मुख्यशीर्ष २२१०-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-उप मुख्यशीर्ष-०६-लोक स्वास्थ्य लघुशीर्ष-१०१-रोगों का निवारण तथा नियंत्रण-उपशीर्ष-०११४- आशा कार्यकर्ता एवं फ़ैसिलिटेटर को राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि, विपत्र कोड-२०-२२१०-०६-१०१-०११४-२८-०२ संविदा सेवाएँ अन्तर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

- 6- राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग होंगे तथा इसके नियत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख होंगे। अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी राशि की निकासी कर राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के पी0 एल0 खाता संख्या- PBBPLA011 में हस्तान्तरित करायेगे। राज्य स्वास्थ्य समिति नियमानुसार उतनी राशि, जितनी तत्काल भुगतान हेतु आवश्यक हो, की निकासी कर सबधित खाते में हस्तान्तरित करेगी। किसी भी परिस्थिति में पी0एल0 खाते से अग्रिम राशि की निकासी कर बैंक खाते में पार्क नहीं किया जाय।
- 7- उपरोक्त खाता का धन-ऋण ज्ञापन ससमय कोषागार पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार, बिहार को प्रेषित करना सुनिश्चित करेगे एवं इसकी एक प्रति विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। उपरोक्त राशि के अनावश्यक रूप से पार्क होने की जिम्मेवारी राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना की होगी।
- 8- राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना राशि का व्यय कर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रशासी विभाग के माध्यम से महालेखाकार, बिहार को उपलब्ध करायेंगे तथा उसकी एक प्रति महालेखाकार, भारत सरकार के कार्यालय को भी भेजेंगे। साथ ही, बिहार वित्तीय नियमावली के नियम-341 के अनुरूप अंकक्षित लेखा विवरणी उपलब्ध कराने की भी अनिवार्यता रहेगी।
- 9- प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहाकार की सहमति संचिका संख्या-7/प0क0-बजट-33-08/2023-24 के पृष्ठ-135/टि0 में प्राप्त है।
- 10- राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी।
- 11- संबंधित प्रस्ताव में महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।
- 12- प्रस्ताव एवं प्रारूप में सचिव, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वसभाजन,

(शंभु शरण)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:-7/प0क0-बजट-33-08/2023-24 -195/7A/स्वा0, पटना, दिनांक:-10/08/2026

प्रतिलिपि-वित्त विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा, पटना/वित्त प्रबंधक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना/ सबधित सभी जिला पदाधिकारी/संबंधित सभी सिविल सर्जन/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि-माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग/लेखा शाखा, स्वास्थ्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी- 07, 12/प्रशाखा के अन्य सभी सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।